

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

शुद्धि पत्र

रायपुर, दिनांक

10 APR 2013

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3(पार्ट-4):: छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 के हिन्दी प्रति में प्रकाशित अनुसूची के कालम-14 के नीचे (एक) में अंकित “अतिरिक्त संचालक, भू-राजस्व” के स्थान पर “अतिरिक्त संचालक, भू-अभिलेख” पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(पी. निहालानी)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. एफ-1-19/2007/सात-3(पार्ट-4) रायपुर, दिनांक

10 APR 2013

प्रतिलिपि- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--

1. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर
2. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
3. समस्त कलेक्टर्स, छ.ग.
4. संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विकास भवन सिविल लाईन, रायपुर की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
5. संचालक, एन. आई. सी. मंत्रालय रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु.
6. आदेश फॉल्डर



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग